



#### संप्रेषण माध्यमों का वितीय साक्षरता में उपयोग

Pardeep, M.Com.

वितीय साक्षरताः स्वरूप एवं प्रकार्य

लोकंतंत्र के विषय में व्यक्त किये गये अनेक विचारों में एक विचार मुझे बहुत ज्यादा प्रासंगिक लगता है वह इस प्रकार है : अपने लोगों को साक्षरता प्रदान करने से बड़ा और कौन उपहार आप अपने प्रजातंत्र को दे सकते हैं. वस्तुत: साक्षरता ही मानवीय संभावनाओं का द्वार खोलती है. प्रजातांत्रिक प्रक्रिया तो इसके अभाव में सफलतापूर्वक काम कर ही नहीं सकती. अत:समाज निर्माताओं में साक्षरता को बढावा देने के प्रति सदा ही आग्रह रहा है.



साक्षरता से हमारा आशय अक्षरों की पहचान तथा उसके सहारे पढना और लिखना सीख लेने से है. इसके बल पर व्यक्ति पुस्तकों में निहित ज्ञान के अथाह भंडार से परिचित हो पाता है तथा अपने अनुभवों से दूसरों को प्रभावित कर सकता है. वितीय साक्षरता से हमारा आशय वितीय परिदृश्य को ठीक से समझ पाने और अपने हित में अपने संसाधनों को लगाने के क्षमता अर्जन करने से है. भारतीय रिज़र्व बैंक के तदानींतन गवर्नर डा वाई वी रेड्डी ने इसकी परिभाषा करते हुए कहा था:

वित्तीय शिक्षण, मोटे तौर पर, वितीय बाज़ार के उत्पादों - विशेष तौर पर लाभ और जोखिम- की समझ विकसित करने की प्रक्रिया है ताकि समझ-बूझ कर विकल्पों का चयन किया जा सके. इस दृष्टि से विचार करने पर मालूम होता है कि वितीय शिक्षण का संबंध व्यक्ति विशेष को वितीय व्यवहारों की शिक्षा प्रदान करने से है ताकि व्यक्ति वितीय दृष्टि से अपनी दशा सुधारने के लिए प्रभावी कार्रवाई कर सके तथा संकटों से बच सके.\*

राष्ट्र के विकास में धन के अर्जन, संग्रहण तथा निवेश की बडी भूमिका है. सरकारी स्तर पर राजस्व की व्यवस्था करने के लिए सक्षम तथा प्रभावी तंत्र लगाया जाता है. पर नागरिकों के व्यक्तिगत वित्त के प्रबंधन की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया. फलस्वरूप आम जन के वितीय संसाधन का इष्टतम उपयोग नहीं हो सका. योजनाकार मानते हैं कि देश की धीमी विकास दर के अनेक कारणों में जन सामान्य के वितीय संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो पाना भी एक कारण है. यही नहीं, वितीय शिक्षण के अभाव में जनसामान्य कपटी लोगों के हाथों छले जाते हैं. वितीय साक्षरता नहीं होने के कारण ही एक बड़ी जनसंख्या वितीय प्रणाली से जुड़ नहीं पायी और साह्कार आदि उनको अपने चंगुल में फंसाने में कामयाब हए.





अबतक वंचित रही जनसंख्या को विद्यमान वितीय व्यवस्था का भरपूर लाभ उठाने, जोखिमों से बचकर चलने तथा जोखिम का शिकार हो जाने पर निवारक उपाय करने में समर्थ बनाने के लिए सार्वभौम वितीय साक्षरता प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बहूद्देशीय योजना शुरू की. इसे 'वितीय साक्षरता परियोजना' कहा गया. इसके लक्ष्य समूह में शामिल किये गये:

- 1. स्कूल तथा कालेज के छात्र-छात्राएं,
- 2. महिलाएं, ग्रामीण तथा शहरी निर्धन
- 3. सशस्त्र सैनिक एवं वरिष्ठ नागरिक.

'वितीय शिक्षण परियोजना' के अंतर्गत लिए जाने वाले विषयों को दो भागों में बांटा गया है. पहले भाग में अर्थव्यवस्था, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा उसके दायित्वों की जानकारी शामिल है. दूसरे वर्ग में सामान्य बैंकिंग की जानकारी शामिल है. इस परियोजना में शिक्षण का माध्यम हिंदी तथा अंग्रेज़ी के अतिरिक्त 13 क्षेत्रीय भाषाओं को भी बनाया गया है. शिक्षण के लिए औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों ही विधियों को अनुमोदन प्राप्त है. परियोजना के कार्यावयन के लिए विभिन्न एजेंसियों यथा, स्थानीय सरकारी मशीनरी, स्कूलों कालेजों की सेवा लिए जाने का प्रावधान है.

वितीय साक्षरता प्रदान करने के लिए पाठ सामग्री को जहां तक संभव हुआ है अनौपचारिक रखा गया है. इसके लिए पेम्फ्लेटों, पुस्तिकाओं, एनीमेटेड फिल्मों, मंच प्रस्तुतियों, प्रदर्शनियों, वेबसाइटों तथा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का सहारा लिया जा रहा है. चूिक वितीय साक्षरता कार्यक्रम के लक्ष्य समूह में अशिक्षित लोग ही नहीं हैं. ऐसा देखा गया है कि अनेक सुशिक्षित तथा अपने पेशे में काफी सफल लोगों को भी वितीय साक्षरता की आवश्यकता हैं. अत: इस मिश्र वर्ग को साक्षरता प्रदान करने के लिए मिली जुली पद्धति ही अपनाई जानी चाहिए. ऐसा किया भी जा रहा है.

वितीय साक्षरता परियोजना के अंतर्गत निम्न लिखित उपाय किये जाने हैं:

- 1. आमने-सामने बैंठ कर अथवा लाभार्थी के लिए उपलब्ध अन्य सुविधाजनक माध्यमों यथा ई-मेल, फैक्स, मोबाइल द्वारा उत्तरदायित्वपूर्ण उधार लेने, आरंभिक अवसर पर ही बचत की आदत डालने का परामर्श देना तथा औपचारिक अथवा अनौपचारिक क्षेत्र से प्राप्त उधार में डूबे व्यक्ति(ओं) को उबारने के लिए परामर्श देना.
- 2. वितीय क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न उत्पादों तथा सेवाओं के प्रति ग्रामीण /शहरी लोगों को जानकारी देना.
- औपचारिक वितीय क्षेत्र के साथ बैंकिंग कारोबार के लाभाँ से लोगों को अवगत कराना.
- 4. संकट में पड़े उधारकर्ताओं को (जान-बूझकर चूक करनेवाले उधारकर्ताओं को नहीं) उनके ऋण की पुनर्रसंरचना करना तथा उनको संबंधित वितीय संस्था/ बैंक/सहकारिता संस्था के पास विचारार्थ भेजना.





5. वितीय साक्षरता ,बैंकिंग कारोबार आदि के प्रति जागरूकता लाने के लिए अन्य कोई कार्य.\*\*

इन समारंभ को सुव्यवस्थित प्रशिक्षणगत अनुसमर्थन देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 फरवरी, 2009 को वितीय साक्षरता तथा ऋण परामर्शी केन्द्रों (FLCC) की स्थापना करने के लिए दिशानिदेश जारी किए. इस निदेश के अनुसर देश भर के जिलों में ऐसे केंद्रों को खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई और अबतक इस दिशा में काफी प्रगति हुई है.\*\*\*.

#### वितीय साक्षरता का प्रसार

वितीय साक्षरता के लक्ष्य समूह की सामाजिकार्थिक तथा शैक्षिक अवस्था एक जैसी नहीं है. अतः इस वर्ग को वितीय साक्षरता प्रदान करने के लिए एकरूप पैटर्न को लागू नहीं किया जा सकता. निर्धन तथा अपढ लोगों के लिए संप्रेषण का जो साधन अनुकूल होगा वह धनी तथा साक्षर लोगों के संदर्भ में उतना प्रभावी नहीं रहेगा. अतः वितीय साक्षरता के प्रसार के संबंध में दो अनिवार्यताओं का ध्यान रखाना आवश्यक होगाः

- 1. वितीय साक्षरता के प्रसार में संप्रेषण के साधनों का उपयोग अनिवार्य है, तथा
- 2. लक्ष्य समूह के आयवर्ग, शैक्षिक दशा, अवस्था, लिंग, पेशा आदि का विचार करके संप्रेषण के साधनों का चयन किया जाना चाहिए.

#### संप्रेषण माध्यमों का उपयोग

अपनी पहुंच, अपनी विश्वसनीयता तथा प्रभाविता के कारण संप्रेषण के माध्यम जनप्रबोधन के अचूक माध्यम के रूप में जाने जाते हैं. सार्वभौम व्यापकता की दृष्टि से इनका कोई विकल्प भी नहीं है. अत: वितीय साक्षरता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हमारा ध्यान अनायास खींचती है. वितीय साक्षरता के प्रसार में इन माध्यमों की भूमिका दो प्रमुख कारणों से महत्वपूर्ण हो जाती है. ये कारण हैं:

- 1. वितीय साक्षरता के क्षेत्राधिकार की व्यापकता. इसके अंतर्गत वह सारा प्रदेश शामिल है जिसमें आर्थिक गतिविधियों में लगे लोग निवास करते हैं. यही क्यों? आर्थिक गतिविधियों में नही लगे लोगों, यथा बच्चे तथा गृहिणियां भी वितीय साक्षरता कार्यक्रम के क्षेत्रधिकार में आती हैं. इसका संबंध संगठित तथा असंगठित दोनों ही प्रकार के उद्योगों में लगे हुए लोगों से है तथा कृषि हो, उद्योग अथवा सेवा, इन सबमें काम करने वाले लोगों को इस साक्षरता की आवश्यकता है
- 2. वितीय साक्षरता औपचारिक शिक्षा-प्रकल्प नहीं है. इसका न तो कोई पाठ्यक्रम है न हीं कोई संस्थान विशेष ही जहां यह शिक्षा प्रदान की जाती है. इसके लाभार्थियों में हर अवस्था के लोग आते हैं हर वितीय स्थिति के लोग शामिल हैं इस कार्यक्रम का विस्तार सिर्फ ग्रामों मे ही है





ऐसा नहीं. शहरी लोगों में भी साक्षरता का यह कार्यक्रम उपयोगी है. इसके लक्ष्य समूह में बच्चे भी आते हैं और बड़े-बूढ़े भी. पढ़े-लिखे लोगों को भी इस शिक्षा की आवश्यकता है तथा अपढ़ को भी. इसमें पर्दानशी महिलाएं भी आतीं हैं और समर्थ एवं कामकाजी नारियां भी.

संचार के जो माध्यम वितीय साक्षरता के प्रसार में उपयोगी हो सकते हैं उनका अध्ययन हम निम्न शीर्षकों में कर सकते हैं:

निरक्षर तथा निर्धन वयस्क लोगों तक पहंच के लिए:

निरक्षर लोग आमतौर पर निर्धन भी होते है. इनमें सामूहिकता की भावना ज्यादा होती है और इनके पास खाली समय भी रहता है. ये लोग ज्यादातर झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं. इनको सामूहिक रूप से शिक्षित किया जा सकता है. इनके पास बहुत छोटी बचत होती है और इनको उधार की मांग हमेशा रहती है. इनके पास भविष्य के प्रति कोई योजना नहीं रहती. ये जो कमाते या इकट्ठा करते हैं, खर्च कर डालते हैं

ऐसे लोगों के लिए दृश्य-श्रव्य माध्यम का उपयोग किया जाना चाहिए. इलेक्ट्रानिक माध्यमां में रेडियो इनके लिए काफी प्रभावी माध्यम हो सकता है. इसके अतिरिक्त नुक्कड़ नाटकां तथा आसपास के सार्वजिनक स्थलों पर स्लाइड शो के जिरए भी संदेश दिया जा सकता है. समूह में बातचीत के द्वारा भी इनको वितीय साक्षरता प्रदान की जा सकती है.

साक्षर तथा धनी वयस्क लोगों तक पहुंच के लिए:

साक्षर लोग सामान्यत: खाते-पीते लोग होते हैं तथा अपने काम से उनको समय निकालना काफी कठिन होता है. साक्षर तथा धनी वयस्क लोगों के लिए समाचारपत्र, पत्रिकायें तथा टेलीविज़न का उपयोग किया जा सकता है. इन लोगों के पास निवेश के लिय धन रहता भी है तथा विभिन्न कार्यों के लिए इनको ऋण की आवश्यकता भी पड़ती है. इस वर्ग के लोग अक्सर ही धूर्त लोगों के कपटी चालों के शिकार हुआ करते हैं. इनके पास चूंकि समय नहीं रहता अतः वितीय मामलों में ये ज्यादा जागरूक नहीं होते. फलस्वरूप इनके फैसले गलत सिद्ध हो जाते हैं.

इसिलए उत्तरदायित्वपूर्ण ढ़ंग से ऋण लेने तथा बुद्धिमानी से निवेश करने के योग्य बनाने के लिए इनको वितीय साक्षरता प्रदान करना बहुत ज़रूरी है. इस वर्ग के लोग चाहे जिस दशा में भी हों, समाचारों के भूखे होते हैं. इन लोगों के लिए समाचारप्रत्र, पित्रकाएं, समाचार के टीवी चैनल, रेडियो के एफएम चैनल आदि संप्रेषण के प्रभावशाली माध्यम हो सकते हैं.

साक्षर तथा धनी किशोर-किशोरियों तक पहंच के लिए:





साक्षर तथा धनी किशोर किशोरियों का वर्ग यह वर्ग खाओ-पीयो तथा खुश रहो के दर्शन में विश्वास करता है. इनका भविष्य संवरना अभी बाकी है. अतः इनको वितीय साक्षरता की बहुत आवश्यकता है जिससे ये वितीय संसाधन के बेहतर उपयोग की प्रेरणा ले सकें. ये स्वयं तो कुछ कमाते नहीं पर इनको अपने अभिभावकों से जेबखर्च के रूप में पर्याप्त राशि मिल जाती है. इनमें कुछ तो पार्ट-टाइम काम करके कुछ कमा भी लेते हैं. यही नहीं, इनमें थोडे-बहुत लोग छात्रवृत्ति भी पाते हैं. इनको बचत के प्रति उन्मुख कराने की आवश्यकता है इनका ज्यादा समय शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग केंद्रों तथा इंटर्नेट पार्लरों में बीतता है.

कोर्स के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में इनकी यदि रुचि है तो वह है टीवी, इंटरनेट, मोबाइल खेलों में मुख्यत: क्रिकेट तथा सिनेमा.. इन लोगों तक वितीय साक्षरता कि रोशनी यदि फैलांनी हो तो उक्त माध्यमों का सहारा लेना ही होगा. इस वर्ग के लोग रेडियो कम ही सुनते हैं. परंतु एफएम चैनलों के माध्यम से उनसे जुड़ा जा सकता है.

#### • गृहिणियों तथा पेंशनयाफ्ता लोगों तक पह्ंच के लिए:

गृहिणियों तथा पेंशनयाफ्ता लोगों के पास समय का अभाव नहीं होता परंतु उनकी आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती. इस समूह के लोगों में गपशप करके समय बिताने का अभ्यास होता है. ये समूह में आते-जाते हैं. सामाजिक कार्यक्रम इन्हीं लोगों द्वारा आबाद हुआ करते हैं. परंतु आर्थिक रूप से गृहिणिया जहां अपने पित पर आश्रित रहतीं हैं वहीं पेंशनयाफ्ता लोगों की निर्भरता अपनी पेंशन राशि पर रहती है. इसके बावज़ूद गृहिणियों को निःस्व नहीं समझा जाना चाहिए. घर के खर्चे से ये हमेशा कुछ-न-कुछ बचा कर रखा करतीं हैं. वितीय साक्षरता के अभाव में उनकी मूल्वान बचत का निवेश नहीं हो पाता तथा वह यूं ही नष्ट हो जाती है. दूसरी ओर पेंशन्याफ्ता लोग अपनी देख-रेख के लिए आमतौर पर अपने निकट संबंधियों पर निर्भर रहते हैं. वितीय साक्षरता के अभाव में वे अपने निकट संबंधियों की सलाह पर आर्थिक निर्णय लेते हैं और अनेक अवसरों पर पछताते हैं.

गूहिणियों में यद्यपि समाचारपत्र पढ़ने की आदत नहीं होती तथिप वे पित्रकाएं पढ़तीं है और महिलाकेंद्रित धारावाहिकों में रुचि लेतीं हैं. इन तक पहुंचने के लिए महिलाओं की पित्रकाओं तथा टीवी का सहारा लिया जा सकता है. पेंशनयाफ्ता लोगों को समाचारपत्र पढ़ने के अतिरिक्त टीवी देखने में मन लगता है. पार्कीं तथा धार्मिक स्थानों पर जाना इन्हें प्रिय लगता है अत: इस वर्ग को लक्ष्य बनाना हो तो टीवी, समाचारपत्र, पित्रकाओं को मध्यम बनाना तथा साक्षात बैठकें करना सार्थक हो सकता है.

#### • स्कूली बच्चों तक पहुंच के लिए:

स्कूली बच्चे राष्ट्र के भावी नागरिक हैं. इनमें धन की कद्र करने तथा बचत के महत्व को समझाने की आवश्यकता सदा से अनुभव की जाती रही है. राष्ट्रीय बचत संगठन ने इनको लक्ष्य बनाकर अनेक प्रकंल्प चलाए थे. खेद के बात है कि आज इस समूह को धन की कद्र करना सिखाया ही नहीं जा रहा है.





कामकाजी माता-पिता अपने बच्चों को यथोचित समय नहीं दे पाते और इसकी भरपाई वे उनकी उचित-अनुचित सभी प्रकार की आर्थिक मांगों के सामने समर्पण करके करना चाहते हैं. समाजशास्त्रियों ने पाया है कि ऐसे बच्चे आगे कर वितीय अनुशासन में नहीं रह पाते. फलस्वरूप परिवार की वितीय दशा बद से बदतर होती चली जाती है.

इसिलए स्कूली बच्चों को वितीय दृष्टि से साक्षर बनाना बहुत ही आवश्यक है. चूंकि बच्चे कार्टून फिल्में देखना पसंद करते हैं तथा कार्टून स्ट्रिप्स पढते हैं उन तक पहुंचने के लिए टीवी तथा बच्चों की पत्रिका का सहारा लिया जा सकता है. इसके अतिरिक्त उनके पाठ्यक्रम में ऐसी शिक्षा को शामिल करना, विद्यालय के पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों में इस विषय पर वाद-विवाद तथा भाषण प्रतियोगिता आदि को शामिल करना लाभदायक हो सकता है.

वितीय साक्षरता के लिए संप्रेषण के सभी माध्यम समान रूप से उपयोगी हैं. इसमें लक्ष्य समूह की ग्राहयता का विचार करके माध्यमों का चयन किया जाना चाहिए. साथ ही किफायती माध्यमों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए. परंतु इससे भी बड़ी बात यह है कि माध्यम जो कहने जा रहा है वह लक्ष्य समूह की बौद्धिक क्षमता के कितना अनुकूल है इसपर भी विचार किया जाना आवश्यक है. जिस प्रकार साक्षर एवं निरक्षर दोनों ही लक्ष्य समूहों के लिए एक ही माध्यम प्रभावी नहीं हो सकता है उसी प्रकार एक ही कथ्य दोनों को नहीं दिया जा सकता. परंतु सवाल माध्यम के चुनाव का ही नहीं है. कथ्य के चुनाव का भी है.

#### संदर्भ :

- डा वाई वी रेड्डी का उद्घाटन भाषण, वितीय शिक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय समेलन 21 सितंबर, 2006.
- डी टी पै, ऑवरिवयू आफ फिनांशिएल इंक्लूज़न एंड माइक्रो क्रेडिट- पृष्ट 43
- \*\*\* वी एन कुलकर्णी, फ़िनांसिअल एडुकेशन एंड क्रेडिट काउंसेलिंग ऐन ओवरव्यू, द इंडियन बैंकर वोल्यूम iv संख्या 5 पृष्ट 39